

फाई अहकाम

वादी की ओर से श्री हसराम गुर्जर एडवोकेट ने दावा वापस स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 सी.ओ.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्च पर जरिये सम्मन नोटिस सलब कर पत्रावली दिनांक 11.03.2019 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

11-3-19

वादी वकील उपस्थित | वादी वकील ने काम किया है कि वादी इस मुकदमे को छोड़ने चाहता नहीं चाहता है तथा Not Press में स्थायित करना चाहता है। आदेशिका पर तत्पश्चात् किमे। अतः यह दावा Not Press में स्थायित किया जाता है। पत्रावली केवल मुजार होता नभर सि कम होकर दारिवाल दफत है।

Not Press  
E

उप जिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

